4.1.23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. प. किये गये। अप्रार्थीगण को रूक रूक कर कितनी आवाजे दिलाये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:07:35 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

राजस्थान—सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 263/22 प्रापत्र

श्रीमती लाली प/० नारायणलाल गाडरी निवासी- किशनपुरा तहसील- माण्डल

—प्रार्थी

बनाम

श्री जमनालाल s/o काशीलाल ब्राह्मण निवासी- कल्याड़िया तहसील- माण्डल
श्री देवालाल s/o गांगु सेन (नाई) निवासी- काशीराम जी की रेलड़ी त० माण्डल
राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा- माण्डल तहसील- माण्डल

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :— 24.01.23

::आदेश::

...की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ... कि ग्राम भगवानपुरा ......पटवार हल्का भगवानपुरा ......तहसील माण्डल में उसके ...संयुक्त खाते की आराजी नं. 1,2,3,4,5 ...... कुल किता 05 ......रकबा 1.3096 ...स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये ...सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की ...ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

...प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.12.22 ...को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को ...नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ... हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ...र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

... प्रार्थना पत्र धारा 111—128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा पटवार ...वानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 1,2,3,4,5 ....ता ...... 05 ......रकबा 1.9096 .....हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ...ने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू—अभिलेख ...भगवानपुरा ......को...... 700/- ......रूपये/— कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने ...रान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति ... बिन्दु को आधार ...पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जा...

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:07:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

— तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार ...की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा